## नियम 113 : अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण का आदेश

(1) अपील प्राधिकारी धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन अपने आदेश के साथ **प्ररूप जीएसटी एपीएल–04** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए किमांग की अंतिम रकम की पुष्टि हो गई है, आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा।

[1][(2) अपीलीय अधिकरण, धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ, **प्ररूप जीएसटी एपीएल–04क** में आदेश का सारांश जारी करेगा, या जारी कराएगा, जिसमें अपीलीय अधिकरण द्वारा पुष्टि की गयी मांग की अंतिम राशि स्पष्ट रूप से दर्शायी जाएगी।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 13 / 2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.09.2025 द्वारा उपनियम (2) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.09.2025)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"(2) अधिकारिता अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एपीएल–04** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि अपील अधिकरण द्वारा हो गई है, आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा।"